राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

दूरभाष 0141–5114117, E-mail : jdagr_wuc@rediffmail.com

कमांक एफ 8( )/आ0कृ./जउप्र/राकृवियो/जलहौज/2016–17/1723–1871 दिनांक : 29.4.2016

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, जयपुर/अजमेर/दौसा/सीकर/झुन्झुनू/बीकानेर/चूरू/
जोधपुर/बाड़मेर/नागौर/जालौर/पाली/सिरोही/जैसलमेर/बूंदी/राजसमंद, हनुमानगढ़।

विषयः– वर्ष 2016–17 मे राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत जलहौज निर्माण कार्यक्रम कियान्वयन के दिशा निर्देश।

प्रसंगः– आयुक्तालय के समसंख्यक पत्र कमांक 332–498 दि0 04.04.2016 एवं पत्रांक 755–876 दि0 06.04.2016 के कम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के कम में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 में जलहौज निर्माण कार्यकम कियान्वयन के कम मे जल के संरक्षण एवं कुशलतम उपयोग हेतु राज्य के कृषकों को लाभान्वित करने हेतु योजनान्तर्गत दिशा निर्देश मय प्रस्तावित लक्ष्य संलग्न कर भिजवाये जा रहे है। वर्ष 2016–17 मे ऑन–लाईन प्राप्त आवेदनो पर ही अनुदान प्रकिया की कार्यवाही की जावे। माह जून–जुलाई, 2016 में शिविर आयोजित कर कृषकों से जलहौज निर्माण के ऑन–लाईन अधिकाधिक आवेदन पत्र प्राप्त किए जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

दिशा निर्देशों के अनुसार प्रगति प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ई–मेल व हार्ड कापी मे भिजवाया जाना सुनिश्चित् करावे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(डॉ. नीरज के.पवन)
आयुक्त कृषि एवं पदेन विशिष्ठ शासन सचिव

कमांक एफ 8( )/आ0कृ./जउप्र/राकृवियो/जलहौज/2016–17/1723–1871 दिनांक : 29.4.2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राज. सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय कृषि मंत्री महोदय, राज. सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग, राज0 जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त, ई.जी.एस., राज. जयपुर।
8. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, बीकानेर/कोटा/जोधपुर।
9. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, सिंचित क्षेत्र विकास विभाग, कोटा/इंगानप बीकानेर।
10. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़/बीकानेर/जैसलमेर/कोटा/बारां/बूंदी..... समस्त।
11. मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, नेहरू प्लेस, टोंक रोड़, जयपुर।
12. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर/कोटा ।
13. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग (उत्तर) हनुमानगढ़ ।
14. मुख्य अभियन्ता (प्रथम/द्वितीय), इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर/जैसलमेर।
15. अतिरिक्त निदेशक कृषि विस्तार/आदान/अनुसंधान/समन्वय/उद्यान, मु0 जयपुर।
16. संयुक्त निदेशक कृषि योजना/आरकेवीवाई/प्रशासन/गुण नियंत्रण/प्रबोधन एवं मूल्यांकन/आदान/ विस्तार/आईसोपोम/सांख्यिकी/पौ0स0/रसायन/फसल बीमा, मुख्या. जयपुर।
17. समस्त संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार)..... खण्ड स्तरीय समीक्षाकर प्रगति ई–मेल के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित् करेगे।
18. परियोजना निदेशक कृषि(वि.), सी.ए.डी. कोटा।
19. प्रबन्ध निदेशक सहकारी भूमि विकास बैंक, सहकार भवन, बाइस गोदाम, जयपुर।
20. उप निदेशक कृषि (विस्तार), सिं.क्षे.वि. बीकानेर/कोटा।
21. उप निदेशक कृषि (सूचना/सांख्यिकी) मु. जयपुर।
22. ए.सी.पी, कृषि आयुक्तालय को लेख है कि विभागिय वैब साईट पर अपलोड करावे।
23. उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद, जयपुर/अजमेर/दौसा/सीकर/झुन्झुनू/बीकानेर/चूरू/जोधपुर/बाड़मेर/ नागौर/जालौर/पाली/सिरोही/जैसलमेर/बूंदी/राजसमंद/हनुमानगढ़ समीक्षाकर प्रगति ई–मेल के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित् करेगे।
24. संबंधित सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), ...
25. जिला विस्तार अधिकारी/कृषि अधिकारी, बज्जू/मोहनगढ़/भीकमपुर/कोटा/बूंदी/सुल्तानपुर।
26. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, कृषि आयुक्तालय, जयपुर।

(आर. डी. सिंह)
संयुक्त निदेशक कृषि (शष्य)
जल उपयोग प्रकोष्ठ

कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

जल हौज निर्माण

वर्ष 2016–17

जल हौज निर्माण कार्यक्रम के दिशा निर्देश

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 में जल हौज निर्माण कार्यक्रम के अर्न्तगत कृषकों से प्राप्त पत्रावलियों पर अनुदान भुगतान हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते है।

जल हौज की उपयोगिता

सिंचाई जल के आवश्यकतानुसार एवं कुशलतम उपयोग हेतु, जल हौज एक महत्वपूर्ण संरचना है। राज्य के अधिकांश जिलों में भूमिगत जल लगभग 400 से 500 फीट गहरा है एवं इतनी गहराई से जल निकासी हेतु 20–30 हार्स पॉवर विधुत चलित मोटर/पम्प की आवश्यकता होती है । ऐसे पम्पों को सीधे ही पाईपलाइन एवं फव्वारा सैटों से जोड़ कर सिंचाई करने में अतिरिक्त दबाव (Pressure) की आवश्यकता होती है जिससे सिंचाई हेतु काम में ली जा रही फव्वारा नोजल की संख्या कम होने के कारण सिंचित क्षेत्र में भी कमी आती है।

जल हौज के निर्माण उपरान्त अधिक गहराई वाले भूमिगत जल को 15–20 हार्स पॉवर की मोटर से लिफ्ट कर हौज में आसानी से भरा जा सकता है एवं तत्पश्चात हौज में उपलब्ध जल को 5 हार्स पॉवर के बूस्टर से सिंचाई हेतु काम में लेकर अधिक संख्या में नोजल चलाये जा सकते है जिससे सिंचित क्षेत्र में भी बढ़ोतरी होती है ।

ऐसे क्षेत्र जहां सिंचाई हेतु बिजली की आपूर्ति रात के समय उपलब्ध होती है, उन क्षेत्रों में जल हौज का निर्माण कर कुएं अथवा नलकूप के जल को हौज में एकत्रित किया जाकर दिन के समय आवश्यकतानुसार सिंचाई हेतु काम में लिया जा सकता है।

जल हौज हेतु स्थान का चुनाव, डिजायन व निर्माण :–

जल हौज खेत के सबसे ऊपरी बिन्दु पर स्थानीय उपलब्ध सामग्री द्वारा निर्मित किया जा सकता है। हौज की क्षमता इतनी होनी चाहिए जिसमें 8 से 10 घंटे का जल भर सके। इसके लिए न्यूनतम आकार 30X20X06 फीट या कृषक की सुविधा अनुसार इससे अधिक आकार का जल हौज का निर्माण किया जा सकता है। हौज निर्माण में फरमे अथवा ईट, सीमेंट व बजरी का उपयोग करके 20 से.मी. चौड़ाई की सीमेंट कंकरीट की सीधी दीवार तल में 8 इंच मोटाई का पक्का एवं मजबूत फर्श बनाया जावें तथा एकत्रित जल का उपयोग फव्वारा/ड्रिप सिंचाई संयंत्र के द्वारा किया जावे। हौज की दीवारों में हल्की ढ़लान तथा दीवारों के बाहरी तरफ मिट्टी का सपोर्ट देने से दीवारों को मजबूती मिलती है। हौज निर्माण हेतु लोहे के सरियों का उपयोग हौज के कोनों में करना जरूरी है। जिससे हौज में दरार न पड़े। हौज का निर्माण आंशिक रूप से भूमि के अन्दर व आंशिक रूप से भूमि के बाहर होना चाहिए तथा दीवारें टूटे नहीं इसलिए चारों तरफ से मिट्टी की कच्ची दीवार बनाना तथा कुशल कारीगर द्वारा निर्माण कराना जरूरी है।

अनुदान के लिये पात्रता :–

1. जिन कृषकों के नाम पर भूमि का न्यूनतम कृषि योग्य जोत भूमि आधा हैक्टेयर का स्वामित्व है उन कृषकों को ही जलहौज निर्माण हेतु अनुदान देय होगा।